No. 395.—Whereas it appears to the Governor of Haryana, that land is likely to be required to be taken by Government at public expense, for a public purpuse namely constructing a road from village Dharamgarh (Badowal) to Dablain in Jind District, it is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid saction the Governor of Haryana is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 days of the pnblication of this notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, Haryana. PW.D., B. & R. Branch, Ambala Cantt.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality	Area in acres	Remarks
Jind	Narwana	Dablain, H. B. No. 76	0.78	$\frac{60}{17,\ 24}$, $\frac{68}{4/2}$

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,

Jind Circle, P.W.D., B.&R., Branch,
Jind.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक, 25 नवम्बर, 1983

सं०ओ.वि./यमुना/298-83/62114—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कार्यकारी अभियन्ता सब सुबर्बन डिविज़न हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड जगाधरी (नज़दीक वरयाम सिंह हस्पताल) के श्रमिक श्री चन्द्र भान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री चन्द्र भान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?